(2)

न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा I.A.S.
प्रकरण संख्या – 73/2017 प्रार्थना पत्र

अनवान

1. श्री छगनलाल पिता देवा गरासिया निवासी बोबरावाडा हाल मुकाम कोचरिया तह झाडोल (फ.) जिला उदयपुर राज0

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री रोडीलाल पिता कमला लौहार निवासी बोबरावाडा तह. झाडोल (फ.) जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री नाना पिता लखमा गरासिया निवासी कोचरिया तह. झाडोल जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री लाला पिता स्व. देवा गरासिया निवासी कोचरिया तह. झाडोल जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री हुरा पिता देवा गरासिया निवासी कोचरिया तह. झाडोल जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री नारायण पिता स्व. लखमा गरासिया निवासी कोचरिया तह. झाडोल जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री बसुलाल पिता स्व. लखमा गरासिया निवासी कोचरिया तह. झाडोल जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री नानालाल पिता हीरा गरासिया निवासी कोचरिया तह. झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः–19.03.2020

आदेश

प्रार्थी की ओर से जरिये श्री दिनेश कुमार गरासिया एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा सुरीमाला पटवार क्षैत्र आंजरोली खांस भू–अभिलेख निरीक्षक श्रैत्र पानरवा तह– झाडोल (फ.) जिला उदयपुर राज0 के आराजी नम्बर 728, 836 कुल किता 2, कुल रकबा 0.61 है0, कुल लगान 1.90 रूपया भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है और विपक्षीगण आराजियात जैर बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है, अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई चिन्ह स्थापित किये जावें। प्रार्थी की ओर से नकल जमाबंदी प्रस्तुत किया गया। इस पर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमाज्ञान (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी सीमाज्ञान कराने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. रा. अधि. 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झाडोल को सीमाज्ञान (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है।

संबंधित भू. अभिलेख निरीक्षक को जरिये तहसीलदार झाडोल के प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश किया जाता है कि मौजा सुरीमाला पटवार क्षैत्र आंजरोली खांस भू–अभिलेख निरीक्षक श्रैत्र पानरवा तह– झाडोल (फ.) जिला उदयपुर राज0 के आराजी नम्बर 728, 836 कुल किता 2, कुल रकबा 0.61 है0, कुल लगान 1.90 रूपया की फरीकेन मुकदमा को सुचित किया जा कर उनकी उपस्थित में बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जा कर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी की जावें एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा ट्रेस 7 योम मे इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

akshay

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर, झाडोल
जिला उदयपुर

सहायक कलक्टर
झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर

कलक्टर, झाडोल
सत्यमेव जयते
उदयपुर (राज.)